

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 3/अ0प्र0-01-200/2019 17/9 /पटना, दिनांक :- 14.8.23

श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त को अधिसूचना सं0-252 सह पठित ज्ञापांक 253 दिनांक-24.01.2023 द्वारा पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 5(पाँच) प्रतिशत की मासिक कटौती का दंड अधिरोपित किया गया है। उक्त अधिरोपित दंड के आलोक में श्री पासवान ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक-06.02.2023 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

2. श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त को स्व0 योगेन्द्र मंडल, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पुत्र श्री रिकु मंडल के हाई स्कूल उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र की जाँच कराये बिना ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अनुशंसा भेजे जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-252-सह-पठित ज्ञापांक-253 दिनांक-24.01.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 139 के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 5 प्रतिशत की कटौती करने की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री पासवान द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में उनके मामले में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 का अनुपालन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए निम्नवत तथ्य रखा गया :-

“ विभाग द्वारा पूछे गये कारण पृच्छा के आलोक में श्री पासवान के पत्रांक शून्य दिनांक 07.03.2022 द्वारा साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण समर्पित किया था। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा जिस मामले में पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत कटौती का दंड संसूचित किया गया है, वह मामला नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। श्री पासवान ने यह भी अंकित किया है कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के तहत वैसे मामले में पेंशन से कटौती की जा सकती है, जिसमें सरकार को किसी राजस्व की हानि हुई हो, इस मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं की गयी है, तो ऐसी स्थिति में पेंशन से कटौती किया जाना वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ”

4. श्री पासवान के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेखित बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 की कंडिका निम्नवत है :-

“बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43(बी)में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती संभव है। परन्तु, यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवा

पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम 139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है।”

उक्त नियम के आलोक में श्री अशोक कुमार पासवान के सेवा अवधि की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि उनके विरुद्ध बराही प्रखंड अन्तर्गत नरेगा मनरेगा योजना में योजना सं०-01/2008-09, 3/2008-09 तथा 05/2007-08 में मिट्टी भराई कार्य में अनियमितता के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय सम्प्रति लंबित है। यह भी ज्ञात हुआ कि श्री पासवान के विरुद्ध कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के अधीन एल० 34 डुमरी कलन से डंगराहा उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य से संबंधित निविदा कागजातों की जाँच सही से नहीं करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित की जा रही है।

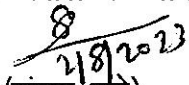
तथ्यों से स्पष्ट होगा कि श्री पासवान की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है। अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत श्री पासवान के पेंशन से अगले 05 वर्षों तक 05 प्रतिशत की मासिक कटौती संबंधी अधिरोपित शास्ति उचित है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रावधानित प्रक्रिया का अनुपालन कर साक्ष्य समर्थित अभिलेख के आधार पर श्री पासवान के विरुद्ध प्रश्नगत् दंड अधिरोपित किया गया है। इस आलोक में श्री पासवान द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. अतः उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा दिनांक-06.02.2023 को समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

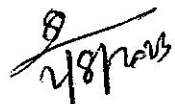
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-01-200/2019 1770 /पटना, दिनांक :- 14.8.23

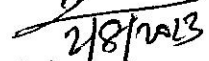
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ms

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-01-200/2019 1770 /पटना, दिनांक :- 14.8.23

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी-6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार पता-मोहल्ला-विसायटोला, डाकघर+थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर, पिन कोड-853204 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-01-200/2019 1770 /पटना, दिनांक :- 14-8-23

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव

मं